उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के बीच बिजली परियाजनाओं सम्बन्धी विवादों के निपटान के लिये समिति

*520. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के बीच बिजली परियोजनाओं संबंधी विवादों के निपटान के लिये कोई स्थायी समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कब तक ऐसी समिति बनाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या इस समिति ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिवेदन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपना निवेदन कब तक दिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० पी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Appointment of Central Agency (Litigation Cell) by Government of Goa for Supreme Court Cases

*521. SHRI RAJESH PILOT: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to lay a statement showing:

(a) whether the Central Agency (Litigation Cell) has been engaged by the Government of Goa, Damen and Diu to represent it litigation before the Supreme Court;

(b) if so, what are the specific terms and conditions of this appointment;

(c) in how many cases (including miscellaneous matters) the Advocates of the Central Agency were engaged by it to represent that Government in the Supreme Court between 1st August, 1981 and 1st February, 1982; and

(d) what is the amount paid or payable by that Government towards fees for appearance for such Advocates?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI A. A. RAHIM): (a) The Central Agency Section of this Ministry handles the litigation work in the Supreme Court of the Administration of Goa, Daman and Diu.

(b) The litigation work of this Union Territory is handled by the Central Agency Section in the same manner as the work of the Government of India and the other participating State Governments.

The total expenditure incurred on account of the Central Agency is shared between the Government of India and the participating State Governments.

(c) During the period in question, the Union Territory Administration for the work done by the Advocates of the Central Agency Section handied eight cases including miscellaneous matters, on behalf of the Union Territory Admiinistration.

(d) No fees are payable by the Union Territory Administration for the work done by the Advocates of the Central Agency Section as they are whole-tiime government servants.

वर्ष 1981-82 और 1982-83 में बिजली की मांग और सप्लाई स्थिति

*526. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के अन्त में देश में बिजली की मैगावाट में मांग और सप्लाई की स्थिति क्या है ;

(ख) वर्ष 1982-83 में बिजली की मांग और सप्लाई की स्थिति के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है ;

(ग) वर्ष 1981-82 के अन्त में मध्य प्रदेश में बिजली की मांग और सप्लाई की स्थिति क्या थी और वर्ष 1982-83 के लिये इसकी स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को अक्तूबर, 1981 से फरवरी, 1982 की अवधि में बिजली के संकट का सामनां करना पड़ा था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधुरी: (क) देश में विद्युत की स्थिति में सुधार हो रहा है तथा 1979-80 की तुलना में यह बहुत अच्छी है और इसमें सुधार होने का आशा है । देश को अप्रतिबाधित अधिकतम मांग 22274 मेंगावाट है । इसकी तुलना में वर्तमान उपलब्धता लगभग 1827 मेजावाट है । वर्ष 1981-82 के दौरान देश में ऊर्जा का प्रत्याशित उत्पादन 122000 मिलियन यूनिट हैं । इसकी तुलना में ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता 137000 मिलियन यूनिट है ।

(ख) वर्ष 1982-83 में देश को ऊर्जा की अनूमानिट आवश्यकता 145000 मिलियन यूनिट है । इसकी तुलना में वर्ष के दौरान प्रत्याशित उपलब्धता 132000 मिलियन यूनिट होगी ।

(ग) मध्य प्रदेश में विद्युत की वर्तमान उपलब्धता लगभग 1080 मेगावाट है । इसकी तुलना में प्रत्याशित व्स्ततम मांग 1500 मेगावाट है । वर्ष 1982-83 के दौरान अनुमानित व्यस्ततम उपलब्धता लगभग 1320 मेगावाट है । इसकी तुलना में व्यस्ततम मांग 1675 मेगावाट है ।

(घ) अक्तूबर, 1981 से फरवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश ने विद्युत की कमी का सामना किया । उसके कारण ये हैं (1) प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता की पर्याप्तता ; (2) 40 : 60 के अपेक्षित स्तर की तुलना में जल विद्युत-ताप विद्युत का लगभग 12 : 88 का घटिया मिश्रण ; (3) पिछले तीन वर्षों के दौरान गांधी सागर जलाशय में जल का अनुप्रवाह कम होना, जिससे जल विद्युत का उत्पादन सीमित हुआ ; तथा (4) सतपुड़ा में 200 मेगावाट के यूनिटों के आशोधन तथा नवीकरण में अत्यधिक समय लगना ।

Subar Arekha Hydel power station

527. SHRI HARIHAR SOPEN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government propose to commission the ubanarekha Hydel Power Station in the current Plan period;

(b) if oo, the names of the place where Subarnarekha Hydel Power Station is going to be located;

(c) its estimated cost; and

(d) the progress made so far in implementing the proposal?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAU DHURY): (a) to (d) Subarnrekha Hydere Electric Project in Bihar con-